29-01-2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
अप्रार्थी तहसीलदार बावड़ी से जवाब
प्रार्थना पत्र प्राप्त। प्रार्थी अधिवक्ता
की बहस सुनी गई। बहस पर मनन
किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन
किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस
में कथन किया कि राजस्व ग्राम अणवाणा
के खसरा सं. 680, 818/2 कुल खसरान
दो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है।
उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगणों
का नाम क्रमशः गपाराम एवं रुकी देवी
दर्ज है जबकि वास्तविक नाम क्रमशः
नवलाराम एवं दाकुड़ी है तथा समस्त
दस्तावेजों इनका यही नाम दर्ज है। प्रार्थी
अधिवक्ता ने कथन किया कि गपाराम व
नवलाराम तथा रुकी देवी एवं दाकुड़ी एक
ही व्यक्तियों के नाम है जो दोनों एक ही है
तथा निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड में
नाम सुधार कर नवलाराम व दाकुड़ी
इन्द्राज करवाने का आदेश फरमावें।

"आदेश"

पत्रावली का अवलोकन एव बहस के
मनन करने पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को
नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर
स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार
बावड़ी से प्राप्त मौका [illegible] रिपोर्ट अनुसार
ग्राम अणवाणा [illegible] 818/2 एव
680 में प्रार्थीगणों का नाम शुद्ध कर
क्रमशः नवलाराम एवं दाकुड़ी, राजस्व
रेकर्ड में इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार
बावड़ी को दिया जाता है। तहसीलदार बावड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:37:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एव

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट इस आदेश का अंग रहेगी। तहसीलदार बावड़ी को आदेश पालनार्थ तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला खुले न्यायालय में मजमे आम सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:37:22 IST
Reason: SelfAttested